भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3555
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

महिला श्रम शक्ति भागीदारी

3555. श्रीमती कनिमोझीः
डॉ॰ मनोज राजोरियाः
श्री पी॰ पी॰ चौधरीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में लगातार कमी आई है और वर्ष 2004-05 में 37 प्रतिशत से घटकर यह वर्ष 2017-18 में 23 प्रतिशत हो गई है;
(ख) क्या सरकार श्रम शक्ति में महिला भागीदारी में सुधार के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या विगत दो वर्षों में उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यदि हां, तो संगठित और गैर-संगठित क्षेत्र में कुल भारतीय श्रम शक्ति का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असंगठित क्षेत्र या अवैतनिक नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;
(च) क्या कार्य स्थल पर बच्चों के देखभाल हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किये गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या मंत्रालय अगले पांच वर्षों में कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीति पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर निम्नानुसार हैः

सर्वेक्षण	एनएसएसओ 61वां दौर (2004-05)	एनएसएसओ 66वां दौर (2009-10)	एनएसएसओ 68वां दौर (2009-10)	पीएलएफएस (2017-18)
श्रम बल भागीदारी दर (% में)	42.7	32.6	31.2	23.3

तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श के चयन को तैयार किया गया है।

स्रोतः वार्षिक रिपोर्टः पीएलएफएस, 2017-18

ये परिणाम वर्ष-दर-वर्ष गिरती हुई महिला श्रमबल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। यह गिरावट शिक्षा में महिलाओं की उच्चतर भागीदारी, प्रवास आदि जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

सरकार ने श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के क्रम में, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं। इनमें बाल-देखभाल केंद्र, बच्चों के दुग्धपान हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, संगत सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगार दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के क्रम में, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(घ) से (छ): देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सरकार की नितांत प्राथमिकता है। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक-थाम, निषेध एवं सुधार) अधिनियम, 2013, 9 दिसम्बर, 2013 से प्रवर्तन में आया। यह अधिनियम समस्त महिलाओं को, उनकी आयु अथवा रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, शामिल करता है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, चाहे संगठित हो अथवा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध उनकी रक्षा करता है। यह अधिनियम 10 से अधिक कामगारों वाले सभी कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन को अनिवार्य बनाता है। इसी प्रकार, संगत सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के गठन के लिए प्राधिकृत है, जो 10 से कम कामगारों वाले संगठनों से अथवा शिकायत चाहे नियोक्ता के विरूद्ध क्यों न हो, शिकायतें प्राप्त करेंगी।

राष्ट्रीय क्रेच योजना कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्षों की आयु समूह के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान करती है। ये सुविधाएं 1 माह में 26 दिनों के लिए दिन में साढ़े सात घंटों के लिए प्रदान की जाती हैं। बच्चों को अनुपूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निद्रा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार ने कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू) की घोषणा की है जिसका उद्देश्य कार्य से संबंधित चोटों, बीमारियों, मृत्यु, आपदाओं की घटनाओं के उन्मूलन के माध्यम से देश में एक निषेधात्मक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्कृति की स्थापना करना तथा देश में आर्थिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाना है। विभिन्न सम्मेलनों, जागरूकता कैम्पों, सुरक्षा सप्ताहों, अभियानों, इनामों एवं सर्वेक्षणों आदि को आयोजित करके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य के संवर्द्धन एवं प्रसारण हेतु अनेक कदम उठाए जाते हैं।

*****